सामाजिक सेवाएं

16

सामाजिक सेवाएं

मुख्य बिन्दु

- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनांतर्गत वर्ष 2023–24 में 4,43,435 हितग्राही लाभान्वित।
- सुखद सहारा योजनांतर्गत वर्ष 2023–24 में 2,23,098 हितग्राही लाभान्वित।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनांतर्गत वर्ष 2022–23 में 6,60,966 हितग्राही लाभान्वित।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजनांतर्गत वर्ष 2022–23 में 2,18,638 हितग्राही लाभान्वित।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजनांतर्गत वर्ष 2022–23 में 33,750 हितग्राही लाभान्वित।
- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजनांतर्गत वर्ष 2022–23 में 7,998 हितग्राही लाभान्वित।
- सिविल सेवा प्रोत्साहन योजनांतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियो को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा मे सफल होने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु राशि रू. 1.00 लाख प्रदाय की जाती है।
- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) को जशपुर जिले में लागू किया गया है। जशपुर जिले के 05 विकास खण्ड (जशपुर, मनोरा, दुलदला, कुनकुरी एवं कांसाबेल) को अल्पसंख्यक विकास खण्ड के रूप में चयनित किया गया है।
- भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित The Best Tourism Village Competition 2024 में बस्तर जिलें के ग्राम धूममारस एवं ग्राम–चित्रकोट का चयन किया गया हैं।

समाज सेवा

16 समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों, निराश्रितों, विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, बौने व्यक्तियों, उभयलिंगी व्यक्तियों, कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले बच्चों के पुर्नवास के साथ–साथ नशामुक्ति के संबंध में सकारात्मक वातावरण बनाने संबंधी विस्तृत कार्यक्रम संचालित किये जाते है। इन दायित्वों के निर्वहन हेतु विभाग अन्तर्गत विभिन्न अधिनियम प्रभावशील है।

16.1 सामाजिक सहायता कार्यक्रम

16.1.1 सामाजिक सुरक्षा पेंशन :– राज्य शासन द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत प्रदेश के मूल निवासी को राशि रूपये 500/– प्रतिमाह पेंशन दी जाती है, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के निम्न में से किसी एक श्रेणी का हो :–

- 6–17 वर्ष आयुवर्ग के निःशक्त बच्चे। जिसमें 6–14 आयुवर्ग के निःशक्त बच्चे जो अध्ययनरत् नहीं है उन्हें पात्रता नहीं होगी।
- 18 वर्ष या अधिक आयु के सामान्य निःशक्त व्यक्ति।
- बौने व्यक्ति।

16.1.2 सुखद सहारा योजना :– योजना का उद्देश्य विधवा/परित्यक्त महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने हेतु सहयोग देना है। जिसके तहत राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 18 से 39 वर्ष आयुवर्ग की विधवा तथा 18 वर्ष या अधिक आयु की परित्यक्त महिलाओं को राशि रूपये 500/– प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान किया जाता है।

16.1.3 मुख्यमंत्री पेंशन योजना:– योजना का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना, 2011 की सर्वे सूची के आधार पर सूचीबद्ध वरिष्ठ नागरिकों एवं विधवा/परित्यक्त महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने हेतु सहयोग देना है, जिसके तहत राशि रूपये 500/– प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान किया जाता है। योजना की निम्नानुसार पात्रता है–

- 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्ध।
- 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा या विवाहोपरान्त परित्यक्त महिलायें।
- छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो,

- ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति में आवेदक का नाम सामाजिक–आर्थिक एवं जाति जनगणना, 2011 की सर्वेक्षण सूची के स्वतः सम्मिलित सूचकांक अथवा वंचन सूचकांक के कम से कम एक वंचन सूचकांक वाले परिवारों की सूची में हो,
- नगरीय क्षेत्र के स्थिति में आवेदक का नाम सामाजिक–आर्थिक एवं जाति जनगणना, 2011 की सर्वेक्षण सूची में उल्लेखित –

○ घास का छत/छप्पर में रहने वाले परिवार, अथवा

○ प्लास्टिक/पॉलिथीन के छप्पर में रहने वाले परिवार, अथवा

○ पत्थर की छत में रहने वाले परिवार, स्लेट की छत में रहने वाले परिवार, अथवा

○ बेघर तथा बिना कमरे वाले घर में निवासरत परिवार की सूची में हो।

16.1.4 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना :– राज्य में इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 1 अक्टूबर 1995 से संचालित की जा रही है। योजनांतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 60 से 79 वर्ष आयुवर्ग के वृद्धजनों को राशि रू. 500/– प्रतिमाह (राशि रूपये 300/– प्रतिमाह राज्यांश राशि सम्मिलित) तथा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को राशि रू. 650/– प्रतिमाह (राशि रूपये 150/– प्रतिमाह राज्यांश सम्मिलित) की दर से पेंशन का भुगतान स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है।

16.1.5 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना :– यह योजना फरवरी 2009 से प्रभावशील है। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 40 से 79 वर्ष आयुवर्ग की विधवाओं को रूपये 500/–प्रतिमाह पेंशन का भुगतान स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है। उक्त पेंशन राशियों में राशि रू. 200/– राज्यांश सम्मिलित है।

16.1.6 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना :– यह योजना फरवरी 2009 से प्रभावशील है। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के 18 से 79 वर्ष आयुवर्ग के गंभीर एवं बहुनिःशक्तता वाले निःशक्तजन को रूपये 500/–प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। उक्त पेंशन राशियों में राशि रूपये 200/– राज्यांश सम्मिलित है।

16.1.7 राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना :– योजना अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवार के ऐसे मुखिया स्त्री या पुरूष जिनकी आमदनी से परिवार का अधिकांश खर्च चलता है तथा जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक तथा 60 वर्ष से कम हो प्राकृतिक/आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर परिवार के उत्तराधिकारी मुखिया को राशि रूपये 20,000/– की एक मुश्त सहायता प्रदान की जाती है। भारत सरकार द्वारा शत्–प्रतिशत राशि उपलब्ध कराई जाती है।

सारणी 1. सामाजिक सहायता कार्यक्रम की प्रगति

योजना	2023-24		2024-25 सित. की स्थिति में	
	वित्तीय उपलब्धि लाख	भौतिक उपलब्धि/ हितग्राही (संख्या)	वित्तीय उपलब्धि लाख	भौतिक उपलब्धि/ हितग्राही (संख्या)
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	50012.01	4,43,435	24472.99	4,27,330
सुखद सहारा योजना	12743.81	2,23,098	6129.18	2,18,993
मुख्यमंत्री पेंशन योजना	37317.89	7,10,373	21574.10	7,25,560
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	19686.02	6,60,966	9469.35	6,41,063
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	7697.48	2,18,638	3981.83	2,17,582
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना	1239.14	33,750	625.20	33,322
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	1670.34	7,998	603.90	2,952

16.2 दिव्यांग कल्याण की योजनाऐं

16.2.1 स्वैच्छिक संस्थाओं को राज्य अनुदान :– दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधान अनुसार प्रदेश में निःशक्तजनों के शिक्षण–प्रशिक्षण तथा समग्र पुनर्वास में स्वैच्छिक संस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य शासन द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान कर उनके द्वारा आवेदन करने पर पात्रता/नियमानुसार सहायक अनुदान स्वीकृत किया जाता है। जिसके अन्तर्गत अस्थि बाधितों हेतु रायपुर, धमतरी, राजनांदगांव, जगदलपुर एवं जशपुर में विशेष विद्यालय, मंद बुद्धि बच्चों के लिए रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर–चांपा, जगदलपुर व बिलासपुर में तथा श्रवण बाधितों के लिए रायपुर, धमतरी, बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर–चांपा, सरगुजा, कोरबा एवं रायगढ़ में विशेष विद्यालय स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से संचालित हैं।

16.2.2 दिव्यांगजनों के लिए छात्रवृत्ति योजनाः– इस योजनांतर्गत प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं महाविद्यालयीन अध्ययनरत् दिव्यांग विद्यार्थियों को पात्रता एवं कक्षा अनुसार रू. 150/– से रू. 190/– प्रतिमाह तक की छात्रवृत्ति विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है तथा दृष्टि बाधित छात्रों को रू. 100/– प्रतिमाह वाचक भत्ता प्रदान किया जाता है।

16.2.3 कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय योजनाः– इस योजना के अन्तर्गत दिव्यांगजनों को कैलीपर्स, ट्रायसायकल, व्हीलचेयर, बैसाखी, श्रवण यंत्र, डिजिटल श्रवण यंत्र, श्वेत छड़ी व ब्रेल किट आदि उपलब्ध कराये जाते हैं। इस योजना अन्तर्गत दिव्यांगजनों को संसाधन सेवायें उनकी आय सीमा रू. 5,000 मासिक तक निःशुल्क तथा रू. 5,001 से रू. 8,000 मासिक तक 50% छूट के साथ संसाधन सेवायें उपलब्ध कराई जाती हैं।

16.2.4 दिव्यांगजनों हेतु मोटराईज्ड ट्रायसायकल (बैटरी चलित) प्रदाय योजनाः– इस योजना के अन्तर्गत दिव्यांग विद्यार्थियों के लिये दिव्यांगता का न्यूनतम प्रतिशत 60% एवं रोजगार/स्वरोजगार में संलग्न व्यक्तियों के लिये दिव्यांगता का न्यूनतम प्रतिशत 70% तथा माता पिता या स्वयं का मासिक आय रू. 20000 प्रतिमाह हो को प्रदाय की जाती है।

16.2.5 सामर्थ्य विकास योजना :–प्रदेश के दिव्यांग हितग्राहियों को उपयुक्त, टिकाऊ, वैज्ञानिक रूप से तैयार आधुनिक एवं मानकीकृत सहायक यंत्र एवं उपकरण प्रदाय करने की दृष्टि से "सामर्थ्य विकास योजना" आरंभ की गई है। सामर्थ्य विकास योजना अन्तर्गत दिव्यांगजनों हेतु मेले/शिविर का आयोजन कर कृत्रिम अंग एवं उपकरण प्रदाय किये जाते है।

16.2.6 निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना :– दिव्यांग व्यक्तियों के सामाजिक पुनर्वास एवं उन्हे स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से 18 से 45 वर्ष आयु की दिव्यांग महिला तथा 21 से 45 वर्ष आयु के दिव्यांग पुरूष जो आयकर दाता की श्रेणी में नहीं आता हो, को विवाह उपरांत जोड़े में एक व्यक्ति के दिव्यांग होने पर राशि रूपये 50,000/– तथा दोनों (वर–वधू) के दिव्यांग होने पर राशि रूपये 1,00,000/– की सहायता राशि दी जाती है।

16.2.7 दिव्यांग व्यक्तियों के शिक्षण प्रशिक्षण हेतु शासकीय संस्थाएं :–विभाग द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार राज्य में आवासीय संस्थाएं संचालित हैं। जिसमें निःशक्त बच्चों को निःशुल्क छात्रावास, शिक्षण–प्रशिक्षण, भोजन, वस्त्र एवं आवासीय सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान में 20 शासकीय संस्थाएं तथा 1 दिव्यांग महाविद्यालय संचालित हैं।

16.2.8 निःशक्तजनों के लिए ''क्षितिज अपार संभावनाएं '' अन्तर्गत एकीकृत योजना

प्रदेश में दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए **''क्षितिज अपार संभावनाएं''** नाम से 03 एकीकृत योजना प्रारंभ की गई है–

16.2.8.1 निःशक्तजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना– निःशक्तजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना –

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत 18 वर्ष तक की आयु के दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किये जाने का प्रावधान है। सामान्यतः आर्थिक अभाव एवं दिव्यांगता के कारण मेधावी दिव्यांग बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं, जिन्हें संबल प्रदान करने के लिए माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों एवं तकनीकी तथा उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् नियमित दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

दिये जाने वाले लाभ :–

- जिले में माध्यमिक परीक्षा (दसवीं) में सर्वाधिक अंक पाने वाले दिव्यांग छात्र तथा छात्रा को राशि रूपये 2,000/– एकमुश्त।
- जिले में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (बारहवीं) में सर्वाधिक अंक पाने वाले दिव्यांग छात्र तथा छात्रा को राशि रूपये 5,000/– एकमुश्त।
- आई. टी. आई./पोलिटेक्निक/स्नातक एवं स्नातकोत्तर (कला, वाणिज्य एवं विज्ञान) पर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को राशि 6,000/–रूपये प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि।
- चिकित्सा/तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा में स्नातक एवं स्नातकोत्तर अध्ययनरत विद्यार्थियों को राशि 12,000/– रूपये प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में उच्च शिक्षा हेतु 508 विद्यार्थियों के लिए प्रोत्साहन राशि स्वीकृत किया गया है।

16.2.8.2 निःशक्तजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना–

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत दिव्यांग मेधावी व्यक्तियों को सिविल सेवा के क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की जा रही है। इससे अन्य दिव्यांग व्यक्ति प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित होंगे तथा आगामी तैयारी हेतु आर्थिक सहयोग प्राप्त हो सकेगा।

दिये जाने वाले लाभ :–

- प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर राशि रूपये 20,000/– एकमुश्त।
- मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर राशि रूपये 30,000/– एकमुश्त।
- संघ/छत्तीसगढ़ लोक सेवा में चयन होने पर राशि रूपये 50,000/– एकमुश्त।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में 18 दिव्यांग प्रतिभागियों को सिविल सेवा परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने हेतु प्रोत्साहन राशि की स्वीकृत दी गई है।

16.2.8.3 निःशक्त विद्यार्थियों के लिए छात्रगृह योजना– दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित, उन्हें संबल प्रदान करने एवं उनके अधिकारों का संरक्षण हेतु 5 दिव्यांग विद्यार्थियों के समूह को किराये के भवन में निःशुल्क आवास सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती है। योजना से राज्य के दिव्यांग विद्यार्थियों का समूह देश के अन्य राज्यों में भी अध्ययन करने हेतु छात्रगृह का लाभ ले सकेंगे।

दिये जाने वाले लाभ :–

05 बच्चों के समूह को रेन्ट कन्ट्रोल अथॉरिटी द्वारा निर्धारित दर पर निर्धारित किराए की सीमा में रहने की निःशुल्क सुविधा। भवन का अधिकतम मासिक किराया राशि विद्युत एवं अन्य व्यय सहित निम्नानुसार श्रेणी के शहरों के लिए निर्धारित किया गया है –

1. A श्रेणी के शहर हेतु 10,000/– (दस हजार) तक देय होगी।
2. B श्रेणी के शहर हेतु 7,000/– (सात हजार) तक देय होगी।
3. C श्रेणी के शहर हेतु 5,000/– (पांच हजार) तक देय होगी।

योजना अन्तर्गत निःशक्त बच्चों के समूह को सुविधा प्रदान की जा रही है।

सारणी 2. दिव्यांग कल्याण की योजनाओं की प्रगति

योजना	2023-24 वित्तीय उपलब्धि लाख	2023-24 भौतिक उपलब्धि/ हितग्राही (संख्या)	2024-25 सित. की स्थिति में वित्तीय उपलब्धि लाख	2024-25 सित. की स्थिति में भौतिक उपलब्धि/ हितग्राही (संख्या)
स्वैच्छिक संस्थाओं को राज्य अनुदान	790.73	2944	23.82	2982
निःशक्तजनों के लिए छात्रवृत्ति योजना	234.56	10129	5.73	3742
कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय योजना	100.42	3643	24.27	1051
सामर्थ्य विकास योजना	345.48	6006	73.00	1585
निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना	260.50	419	35.50	33
निःशक्त व्यक्तियों के शिक्षण प्रशिक्षण हेतु शासकीय संस्थाए	2066.27	1366	878.22	1323

16.3 समाज रक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित योजनाएं

16.3.1 वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्यक्रम – वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिक सहायता योजना संचालित है, जिसके अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षण एवं सम्मान हेतु प्रत्येक वर्ष जनपद पंचायत स्तर से राज्य स्तर तक ''अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस'' के अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है। निराश्रित वृद्धजनों के लिए प्रदेश में 35 वृद्धाश्रम संचालित है, जहां 922 वृद्धजन लाभान्वित हो रहे हैं।

60 वर्ष या इससे अधिक आयु के ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो वृद्धावस्था के कारण गंभीर बीमारी एवं बिस्तर पर रहकर अपनी सम्पूर्ण दिनचर्या, क्रियाकलाप का निर्वहन करने हेतु बाध्य हैं उनकी समुचित देखरेख एवं चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 06 प्रशामक देखरेख गृह जिला रायपुर, बेमेतरा दुर्ग, कबीरधाम, रायगढ़ एवं बालोद में संचालित है।

16.3.2 तीरथ बरत योजना :— योजना को दिनांक 04 दिसम्बर 2012 से प्रभावशील किया गया है। इस योजना अन्तर्गत छत्तीसगढ़ के निवासी वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति) को उनके जीवनकाल में एक बार, प्रदेश के बाहर स्थित विभिन्न नामनिर्दिष्ट तीर्थ स्थानों में से किसी एक या एक से अधिक स्थानों की निःशुल्क यात्रा शासकीय सहायता से करायी जाती है। योजना अन्तर्गत निःशक्तजनों को भी तीर्थयात्रा योजना में शामिल कर उनके लिए विशेष ट्रेन की व्यवस्था की जाती है।

16.3.3 उभय लिंगी के व्यक्तियों के लिए कल्याणार्थ कार्यकम/योजना :— उभय लिंगी (तृतीय लिंग) के व्यक्तियों के सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्वास तथा उनके कौशल उन्नयन हेतु विभाग द्वारा कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

16.3.4 वरिष्ठ नागरिक सहायक उपकरण प्रदाय योजना :—

60 वर्ष से अधिक आयु के गरीबी रेखा से नीचे जीवन—यापन करने वाले वृद्ध/निराश्रित वृद्ध/वृद्धाश्रम में निवासरत वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था में होने वाली समस्या के निराकरण हेतु उनकी आवश्यकता के अनुरूप सहायक उपकरण, चिकित्सीय देखभाल की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वरिष्ठ नागरिक सहायक उपकरण प्रदाय योजना प्रारंभ की गयी है। वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा दिए गए परामर्श अनुसार डायबिटिक शू, नी—स्पिलिन्ट, स्पिलिन्ट् (विभिन्न प्रकार के), ब्रेसेस (विभिन्न प्रकार के), कॉलर, वाकर, बैशाखी, छड़ी, व्हील चेयर, चश्मा, श्रवण यंत्र, डेन्चर एवं अन्य उपकरण चिकित्सक के परामर्श अनुसार एक या एक से अधिक सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।

सारणी 3. समाज रक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित योजनाओं की प्रगति

योजना	2023-24		2024-25 सित. की स्थिति में	
	वित्तीय उपलब्धि लाख	भौतिक उपलब्धि/ हितग्राही (संख्या)	वित्तीय उपलब्धि लाख	भौतिक उपलब्धि/ हितग्राही (संख्या)
वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्यक्रम	292.18	22819	168.11	850
उभय लिंगी के व्यक्तियों के लिए कल्याणार्थ कार्यक्रम/योजना	29.28	3060	3.20	3060
प्रशामक देखरेख गृह	59.65	64	0	128

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

16.4.1 विशिष्ट संस्थाएंः–

राज्य में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग द्वारा छात्रावास प्रदेश में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 1667 प्री.मैट्रिक, पिछडा वर्ग के 08 प्री.मैट्रिक एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के 408 पोस्ट मैट्रिक तथा पिछडा वर्ग के 48 संचालित है एवं अनुसूचित जाति के लिए 51 एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1124 आश्रम शालाएं संचालित है। प्राथमिक स्तर से उच्चतर माध्यमिक स्तर के आश्रम के लिए शालायें संचालित है। विभाग द्वारा 06 आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 14 कन्या शिक्षा परिसर, 01 गुरूकुल (आदर्श) विद्यालय, 75 एकलब्य आवासीय विद्यालय, 15 बालक/कन्या आवासीय विद्यालय, 01 आस्था गुरूकुल विद्यालय एवं 20 कीडा परिसर संचालित है।

16.4.2 पं. जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना :–

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने एवं नये सोच के साथ नये कैरियर चयन का अवसर प्रदान के उद्देश्य से योजना संचालित है। योजना अंतर्गत प्रति वर्ष कक्षा 06 वीं के अनुसूचित जाति वर्ग के 70 तथा अनुसूचित जन जाति वर्ग के कक्षा 6 वी के 130 इस प्रकार दोनो वर्गो हेतु कुल 200 विधार्थियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है ।

वित्तीय वर्ष 2023–24 अप्रैल 2023 से सितम्बर 2023 तथा वित्तीय वर्ष 2023–24 अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह–अप्रैल 2024 से सितम्बर 2024 तक की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ तालिका 16.4 में दर्शित हैः–

तालिका 16.4 पं. जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदाय करने की योजना

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियॉ (राशि लाख में)
2023–24 (अप्रैल 2023 से मार्च 2024)	अनुसूचित जाति	359	420.00
	अनुसूचित जनजाति	713	1000.00
2024–25 (अप्रैल 2024 से सितम्बर 2024 की स्थिति में)	अनुसूचित जाति	375	470.00
	अनुसूचित जनजाति	713	1100.00

16.4.3 विज्ञान एवं वाणिज्य प्रोत्साहन योजना :– नक्सल हिंसा से प्रभावित प्रदेश के जिलो में अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु विज्ञान एवं वाणिज्य विषय के पद रिक्त रह जाते है क्योंकि इस वर्ग के विद्यार्थियों की सूची विज्ञान एवं वाणिज्य विषय में कम है। अतः इन वर्ग के विद्यार्थियों को विज्ञान एवं वाणिज्य के विषय में अध्यापन को प्रोत्साहन करने हेतु संस्था दुर्ग एवं जगदलपुर में 500–500 सीटर विज्ञान एवं वाणिज्य विषय पर केन्द्र स्थापित किया गया है। इस योजनान्तर्गत चयनित विद्यार्थियो जिन्होने स्नातक/ स्नातकोत्तर शिक्षा विज्ञान एवं वाणिज्य विषयों के साथ जारी रखी गई हो। विज्ञान के पदो एवं आयोजित की जाने वाली प्री.बीएड, टीईटी परीक्षा हेतु आपरेटर एवं अध्यापक उपलब्ध कराया जावेगा। इस योजना अंतर्गत 500 सीटर क्रेन्द्र बालिकाओं हेतु दुर्ग जिला के मुख्यालय में वर्ष 2023–24 में प्रारंभ की गई है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह–अप्रैल 2024 से सितम्बर 2024 तक की वित्तीय एवं भौतिक तालिका क्र. 16.5 में दर्शित है।

तालिका 16.5 विज्ञान एवं वाणिज्य प्रोत्साहन योजना

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियॉ (राशि लाख में)
2023–24 (अप्रैल 2023 से मार्च 2024)	अनुसूचित जनजाति	616	2635.00
2024–25 (अप्रैल 2024 से सितम्बर 2024 की स्थिति में)	अनुसूचित जनजाति	707	300.00

16.4.4 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियॉ :– कक्षा 12वीं से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के दौरान आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति शासन द्वारा संचालित की जा रही है।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (निर्वाह भत्ता) (अ0ज0जा0)

- **आय–सीमा– रू. 2.50 लाख तक वार्षिक आय**,
- भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति की दर दिनांक 01.04.2022 से निम्नानुसार लागू है :–

तालिका 16.6 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (निर्वाह भत्ता) (अ0ज0जा0)		
समूह	छात्रवृत्ति की दरें (प्रति माह)	
	अनुसूचित जनजाति	
	छात्रावासी	दिवा छात्र
समूह–1– (i) डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम यथा–एम .फिल, पी.एच.डी तथा औषधि में पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान एलोपैथिक, भारतीय तथा अन्य मान्यता प्राप्त औषधि पद्धतियां) इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, प्लानिंग, कृषि, डिजाईन, फैशन टेक्नालॉजी, पशु– चिकित्सा एवं सम्बद्ध विज्ञान, प्रबंधन, बिजनेस वित्त, बिजनेस प्रशासन तथा कम्प्यूटर अनुप्रयोग/विज्ञान। (ii) वाणिज्यिक पायलेट लाइसेंस (हेलिकाप्टर पायलट तथा मल्टी–इंजिन रेटिंग पाठ्यक्रम (iii) प्रबंधन तथा औषधि में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (iv) सी.ए./आई.सी.डब्ल्यू.ए./सी.एस./ आई.सी.एफ.ए. आदि पाठ्यक्रम (v) एम.फिल., पी.एच.डी तथा पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान यथा– डी.लिट, डी.एस.सी. इत्यादि (vi) एल.एल.एम.	1200	550
समूह–2– (i) स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तरीय डिग्री पाठ्यक्रम, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र स्तरीय पाठ्यक्रम जैसे– फार्मेसी (बी .फार्मा), नर्सिंग (बी .नर्सिंग), एल.एल.बी., बी. एफ.एस. अन्य पैरा मेडिकल ब्रांच जैसे– रिहायबिलिटेशन, डायगनोस्टिक इत्यादि, होटल प्रंबधन, मॉस कम्यूनिकेशन, ट्रेवल/टूरिज्म/ हॉस्पिटायलिटी प्रबंधन, आंतरिक साज– सज्जा, न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स, कामर्सियल आर्ट, वित्तीय सेवाएं जैसे– बैंकिंग, इन्शयूरेन्श इत्यादि जिसके लिए प्रवेश परीक्षा 12 स्तर के हो। (ii) स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम जो समूह–1 में शामिल न हो जैसे– एम .ए., एम. एस.सी., एम.कॉम, एम.एड इत्यादि	820	530
समूह–3– स्नातक स्तरीय अन्य डिग्री पाठ्यक्रम (जो समूह–1 तथा 2 द्वारा शामिल नहीं किए गए हैं) जैसे– बी.ए., बी.एस.सी.,बी.कॉम.,बी.एड इत्यादि	570	300
समूह –4 – सभी पोस्ट मैट्रिकुलेशन स्तरीय नॉन डिग्री पाठ्यक्रम जिसके लिए प्रवेश परीक्षा हाईस्कूल स्तरीय हो। आई टी आई पाठ्यक्रम, त्रिवर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा पाठ्यक्रम	380	230

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (निर्वाह भत्ता) (अनुसूचित जाति)

- **आय–सीमा– रू. 2.50 लाख तक वार्षिक आय,**
- भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति की दरें दिनांक 2020–21 से वर्ष 2025–26 निम्नानुसार लागू है :–

तालिका 16.7 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (निर्वाह भत्ता) (अनुसूचित जाति)

समूह	छात्रवृत्ति की दरें (प्रति माह)	
	अनुसूचित जाति	
	छात्रावासी	दिवा छात्र
समूह –1– डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम	13500	7000
समूह –2– डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट से संबंधित अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम	9500	6500
समूह –3– स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तरीय अन्य डिग्री पाठ्यक्रम (जो समूह–1 तथा 2 द्वारा शामिल नहीं किए गए हैं)	6000	3000
समूह –4– सभी पोस्ट मैट्रिकुलेशन स्तरीय नॉन डिग्री पाठ्यक्रम जिसके लिए प्रवेश परीक्षा हाईस्कूल स्तरीय हो।	4000	2500

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति राज्य भाासन की दर (पिछड़ा वर्ग)

- आय–सीमा– रू. 1,00,000 / – तक वार्षिक
- वर्तमान में उक्त छात्रवृत्ति राज्य आयोजना से दी जा रही है। छात्रवृत्ति की दरें निम्नानुसार है:–

तालिका 16.8 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति राज्य शासन की दर (पिछड़ा वर्ग)

समूह	छात्रवृत्ति की दरें (माहवार रूपये)				
	अध्ययन का वर्ष	छात्रावासी		गैर छात्रावासी	
		छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
अ – मेडिकल तथा इंजीनियरिंग	प्रथम वर्ष	210	220	100	100
	द्वितीय वर्ष	210	255	100	115
बी.व्ही.एस.सी. तथा बी.एस.सी. (कृषि)	प्रथम वर्ष	185	195	100	110
	द्वितीय वर्ष	185	200	100	115
आ– डिप्लोमा कोर्सेस, मेडिकल टेक्नालॉजी तथा पोस्ट ग्रेजुएट साइंस	प्रथम वर्ष	130	135	100	110
	द्वितीय वर्ष	130	135	100	110
इ– सर्टीफिकेट कोर्सेस इंजीनियरिंग, मेडिकल टेक्नालॉजी तथा पोस्ट ग्रेजुएट, आर्ट एवं कामर्स	प्रथम वर्ष	125	135	100	110
ई– सर्टिफिकेट कोर्सेस अप टू ग्रेजुएट लेवल व बाद के वर्ष	प्रथम वर्ष	100	110	55	70
	द्वितीय वर्ष	115	130	70	85
स– कक्षा – 11 वीं	–	100	110	50	60
कक्षा – 12 वीं	–	100	110	55	70

वित्तीय वर्ष 2023–24 में अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह–अप्रैल 2024 से सितम्बर 2024 तक की वित्तीय एवं भौतिक तालिका क्र. 16.9 में दर्शित है।

तालिका 16.9 छात्रवृत्ति वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियॉ (राशि लाख में)
2023–24 (अप्रैल 2023 से मार्च 2024)	अनुसूचित जाति	60092	6352.41
	अनुसूचित जनजाति	78181	7366.06
	पिछड़ा वर्ग	171671	13411.32
2024–25 (अप्रैल 2024 से सितम्बर 2024)	अनुसूचित जाति	ऑन–लाईन पो.मै.छा. की स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	
	अनुसूचित जनजाति		
	पिछड़ा वर्ग		

16.4.5 छात्रावास :– अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को अच्छे परिवेश की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में इन वर्गो के लिए छात्रावास संचालित किये जा रहे है, बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक–पृथक छात्रावास संचालित है, इन छात्रावासों में छात्र–छात्राओं के लिए निःशुल्क आवास, भोजन, बिजली, पानी, पलंग, बिस्तर, पुस्तकें एवं समाचार पत्र आदि सुविधाऐं उपलब्ध कराई जाती है। प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 1667 प्री.मैट्रिक, पिछडा वर्ग के 08 प्री मैट्रिक एवं अनुसूचित जनजाति के 410 पोस्ट मैट्रिक तथा पिछडा वर्ग के 47 पोस्ट मैट्रिक छात्रावास संचालित है। प्री. मैट्रिक छात्रावास में प्रवेशित विद्यार्थियों को 10 माह, 15 दिवस के लिए शिष्यवृत्ति प्राप्त करने की पात्रता है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह–अप्रैल 2024 से सितम्बर 2024 तक की वित्तीय एवं भौतिक तालिका क्र. 16.10 में दर्शित है।

तालिका 16.10 छात्रावास योजना भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाखों में)
2023–24 (अप्रैल 2023 से मार्च 2024)	अनुसूचित जाति	15256	1702.82
	अनुसूचित जनजाति	68345	9379.30
	पिछड़ा वर्ग	400	43.00
2024–25 (अप्रैल 2024 से सितम्बर 2024 की स्थिति में)	अनुसूचित जाति	14961	2104.63
	अनुसूचित जनजाति	69131	8750.33
	पिछड़ा वर्ग	384	51.00

16.4.6 आश्रम शाला योजना :– प्रदेश में वनांचल एवं दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ शैक्षणिक सुविधा नहीं है ऐसे स्थानो में आश्रम शाला योजना की व्यवस्था की जाती हैं। इन आश्रमों में कक्षा पहली से कक्षा 8वीं तक की कक्षाऐं संचालित की जाती है, इन आश्रमों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा के साथ–साथ आवास एवं भोजन की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए 51 एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1174 आश्रम शालाऍं संचालित है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह–अप्रैल 2024 से सितम्बर 2024 तक की वित्तीय एवं भौतिक तालिका क्र. 16.11 में दर्शित है।

तालिका क. 16.11 आश्रम शाला योजना

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियॉ (राशि लाख में)
2023–24 (अप्रैल 2023 से मार्च 2024)	अनुसूचित जाति	3039	166.79
	अनुसूचित जनजाति	76623	8768.22
2024–25 (अप्रैल 2024 से सितम्बर 2024 की स्थिति में)	अनुसूचित जाति	3096	483.23
	अनुसूचित जनजाति	78791	10253.29

16.4.7 खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत छात्रावासी विद्यार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना:– खाद्यान्न सुरक्षा योजना अधिनियम 2012 के अंतर्गत विभाग द्वारा संचालित छात्रावास/आश्रम के साथ–साथ शासकीय अनुदान प्राप्त छात्रावास/आश्रमों में तथा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त एवं विभाग द्वारा संचालित निजी छात्रावास/ आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों को रियायती दर पर प्रदान करने हेतु योजना संचालित है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह–अप्रैल 2024 से सितम्बर 2024 तक की वित्तीय एवं भौतिक तालिका क्र. 16.12 में दर्शित है।

तालिका क. 16.12 खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत खाद्यान्न उपलब्धता की प्रगति

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू.में)
2023–24 (अप्रैल 2023 से मार्च 2024)	अनुसूचित जाति	23228	300.00
	अनुसूचित जनजाति	164266	2400.00
	पिछड़ा वर्ग	1939	29.25
2024–25 (अप्रैल 2024 से सितम्बर 2024 की स्थिति में)	अनुसूचित जाति	23385	120.00
	अनुसूचित जनजाति	180363	960 .00
	पिछड़ा वर्ग	2254	12.00

16.4.8 विशेष कोचिंग केन्द्र योजना :– विशेष कोचिंग के अंतर्गत दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रो में कठिन विषयों के शिक्षको का अभाव बना रहता है जिसके कारण छात्रावास/आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों को कठिन विषयों में कमजोर रह जाते है फलस्वरूप परीक्षा परिणाम का अपेक्षित स्तर पर कम रहता है। इस योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रावास/ आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों को निदानात्मक एवं विशेष शिक्षण के माध्यम से कठिन विषयों जैसे–गणित/विज्ञान/वाणिज्य जैसे विशयों में गुणात्मक सुधार के लिए प्रयास किया जाता है। उक्त योजना का क्रियान्वयन माह नवम्बर, दिसम्बर एवं जनवरी में किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह–अप्रैल 2024 से सितम्बर 2024 तक की वित्तीय एवं भौतिक तालिका क्र. 16.13 में दर्शित है।

तालिका 16.13 विशेष कोचिंग केन्द्र योजना प्रगति (राशि लाख में)

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियॉ (राशि लाख में)
2023–24 (अप्रैल 2023 से मार्च 2024)	अनुसूचित जाति	–	55.00
	अनुसूचित जनजाति	–	143.00
2024–25 (अप्रैल 2024 से सितम्बर 2024 की स्थिति में)	अनुसूचित जाति	–	60.50
	अनुसूचित जनजाति	–	157.30

16.4.9 छात्र भोजन सहाय योजना :–

पोस्ट मैट्रिक छात्रावासी विद्यार्थियो के बढते उम्र के अनुरूप संतुलित शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए छात्र भोजन सहाय वर्ष 2005–06 से प्रारम्भ की गई है। जिसके अंतर्गत वर्ष 2023–24 से विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा पिछडे वर्ग के विद्यार्थियो को भोजन सहाय हेतु प्रति छात्र प्रति माह राशि रूपये 1200/– की दर से उपलब्ध कराई जाती है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह–अप्रैल 2024 से सितम्बर 2024 तक की वित्तीय एवं भौतिक तालिका क्र. 16.14 में दर्शित है।

तालिका 16.14 छात्र भोजन सहाय योजना प्रगति			
वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियाँ (राशि लाख में)
2023–24 (अप्रैल 2023 से मार्च 2024)	अनुसूचित जाति	4399	592.85
	अनुसूचित जनजाति	19298	2237.89
	पिछड़ा वर्ग	1539	192.72
2024–25 (अप्रैल 2024 से सितम्बर 2024 की स्थिति में)	अनुसूचित जाति	5328	327.00
	अनुसूचित जनजाति	19241	1237.86
	पिछड़ा वर्ग	1870	189.00

16.4.10 व्यावसायिक प्रशिक्षण योजनाः—

16.4.10.1 नर्सिग प्रशिक्षण योजना :— यह योजना वर्ष 2009—10 से प्रारम्भ की गई है। योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष अनुसूचित जाति के 155 तथा अनुसूचित जनजाति के 245 इस प्रकार कुल 400 विद्यार्थियों को नर्सिग पाठयक्रम में निःशुल्क अध्ययन की सुविधा दिये जाने का लक्ष्य है।

वित्तीय वर्ष 2023—24 में अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक एवं वित्तीय वर्ष 2024—25 में माह—अप्रैल 2024 से सितम्बर 2024 तक की वित्तीय एवं भौतिक तालिका क्र. 16.15 में दर्शित है।

तालिका 16.15 नर्सिंग प्रशिक्षण योजना प्रगति			
वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख में)
2023—24 (अप्रैल 2023 से मार्च 2024)	अनुसूचित जाति	315	269.53
	अनुसूचित जनजाति	416	250.29
2024—25 (अप्रैल 2024 से सितम्बर 2024 की स्थिति में)	अनुसूचित जाति	353	236.56
	अनुसूचित जनजाति	393	271.94

16.4.10.2 हॉस्पिटैलिटी एवं होटल मैनेजमेन्ट योजना :— राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र/छात्राओं को एअर होस्टेस, एविएशन हॉस्पिटालिटी एवं होटल मैनेंजमेंट डिप्लोमा का प्रशिक्षण योजना वर्ष 2006—07 से आरम्भ की गई है। वर्ष 2013—14 में योजना में संशोधन किया गया जिसके तहत हॉस्पिटालिटी एवं होटल मैनेंजमेंट में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह योजना वर्ष 2006—07 से आरम्भ की गई है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह–अप्रैल 2024 से सितम्बर 2024 तक की वित्तीय एवं भौतिक तालिका क्र. 16.16 में दर्शित है।

तालिका 16.16 हास्पिटलिटी एवं होटल मैनेजमेन्ट योजना प्रगति

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख में)
2023–24 (अप्रैल 2023 से मार्च 2024)	अनुसूचित जाति	37	22.20
	अनुसूचित जनजाति	54	32.40
2024–25 (अप्रैल 2024 से सितम्बर 2024 की स्थिति में)	अनुसूचित जाति	33	14.20
	अनुसूचित जनजाति	59	25.37

16.4.10.3 निःशुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण योजना :– इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के कक्षा 8वीं उत्तीर्ण गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को हल्के वाहन चालक का प्रशिक्षण दिलाकर रोजगार उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2008–09 से योजना लागू की गई है।

16.4.11 रविदास चर्म शिल्प योजना :– प्रदेश में चर्म सिलाई के व्यवसाय में लगे लोगो को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2008–09 में रविदास चर्मशिल्प योजना प्रारम्भ की गई है। इसके तहत अनुसूचित जाति के हितग्राहियों को मोची पेटी औजार सहित निःशुल्क प्रदान की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह–अप्रैल 2024 से सितम्बर 2024 तक की वित्तीय एवं भौतिक तालिका क्र. 16.17 में दर्शित है।

तालिका 16.17 रविदास चर्म शिल्प योजना प्रगति

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख में)
2023–24 (अप्रैल 2023 से मार्च 2024)	अनुसूचित जाति	200	30.00
2024–25 (अप्रैल 2024 से सितम्बर 2024 की स्थिति में)	अनुसूचित जाति	200	26.85

16.4.12 आदिवासी संस्कृति का परीक्षण एवं विकास :– वर्ष 2015–16 से आदिवासी संस्कृति का परीक्षण एवं विकास योजनान्तर्गत निम्नलिखित योजना संचालित है :–

- आदिवासी संस्कृति का परीक्षण एवं विकास योजनान्तर्गत आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में आदिवासियों की पूजा एवं श्रद्धा स्थलों(देवगुडी) के निर्माण एवं मरम्मत हेतु वर्ष 2006–07 से योजना संचालित है। योजनान्तर्गत प्रति देवगुडी मरम्मत/निर्माण हेतु राशि 1,00000/– दिया जाता है। वर्ष 2022–23 से अधिक राशि रू 5.00 लाख प्रति देवगुडी स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है।

- आदिवासी संस्कृति का परीक्षण एवं विकास योजनान्तर्गत आदिवासियों के सांस्कृतिक दलो को वाद्ययंत्र खरीदने हेतु अनुदान स्वरूप प्रतिदल रू. 10000 दिये जाने का प्रावधान है।

- शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव – शहीद वीर नारायण सिंह की स्मृति में उनके शहादत दिवस 10 दिसम्बर को शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष उनके जन्म स्थान सोनाखान जिला – बलौदाबााजार में किया जाता है। इसके अंतर्गत आदिवासियों की लोकनृत्य प्रतियोगिता राज्य स्तर पर आयोजित की जाती है। प्रतियोगिता में सम्मिलित आदिवासी लोक कला दल को प्रथम पुरस्कार राशि रू. 1.00 लाख, द्वितीय पुरस्कार राशि रू. 0.50 लाख तथा तृतीय पुरस्कार राशि रू. 0.25 लाख दिया जाता है। उपर्युक्त महोत्सव का उद्देश्य शहीद वीर नारायण सिंह की शहादत चिर अविस्मरणीय बनाना एवं आदिवासी लोक कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहित करना है।

- शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान पुरस्कार – छ.ग. राज्य में आदिवासी सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को राशि रू. 2,00000/– से पुरस्कृत कर प्रशस्ति पत्र प्रदाय किया जाता है।

- स्व. डॉ भंवरसिंह पोर्ते स्मृति आदिवासी सेवा सम्मान पुरस्कार – छ.ग. राज्य में आदिवासियों की सेवा करने और उनके उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसी 01 संस्था को सम्मानित कर प्रोत्साहित किया जाता है। पुरस्कार राशि रू. 2.00 लाख एवं प्रशस्ति पत्र राज्योत्सव पर प्रत्येक वर्ष दिया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह–अप्रैल 2024 से सितम्बर 2024 तक की वित्तीय एवं भौतिक तालिका क्र. 16.18 में दर्शित है।

तालिका 16.18 आदिवासी संस्कृति का परीक्षण एवं विकास

(राशि लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि
2023–24 (अप्रैल 2022 से मार्च 2024)	1. देवगुड़ी मरम्मत/निर्माण	473	799.50
	2. आदिवासी लोककला दलो को सहायता	590	59.00
	3. शहीद वीरनारायण सिंह लोककला महोत्सव	-	-
	4. शहीद वीरनारायण सिंह लोककला महोत्सव/डॉ भंवरसिंह पोर्ते पुरस्कार	-	-
2024–25 (अप्रैल 2024 से सितम्बर 2024 की स्थिति में)	1. देवगुड़ी मरम्मत/निर्माण	-	-
	2. आदिवासी लोककला दलो को सहायता	230	23.60
	3. शहीद वीरनारायण सिंह लोककला महोत्सव	-	-
	4. शहीद वीरनारायण सिंह लोककला महोत्सव/डॉ भंवरसिंह पोर्ते पुरस्कार	-	-

16.4.13 सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना :– अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियो को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा मे सफल होने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु राशि रू. 1.00 लाख प्रदान जाती है। यह योजना वर्ष 2010–11 से प्रारंभ की गई हैं । वर्ष 2024–25 में इस योजना हेतु कुल राशि रू. 23.00 लाख का प्रावधान रखा गया है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह–अप्रैल 2024 से सितम्बर 2024 तक की वित्तीय एवं भौतिक तालिका क्र. 16.19 में दर्शित है।

तालिका क. 16.19 सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियॉ (राशि लाखों में)
2023–24 (अप्रैल 2023 से मार्च 2024)	अनुसूचित जाति	01	1.00
	अनुसूचित जनजाति	02	2.00
2024–25 (अप्रैल 2024 से सितम्बर 2024 की स्थिति में)	अनुसूचित जाति	-	-
	अनुसूचित जनजाति	-	-

16.4.14 राजीव युवा उत्थान योजना :– पूर्व में यह योजना युवा कैरियर निर्माण योजना के नाम से संचालित थी। इस योजना के अंतर्गत ट्रायबल यूथ हास्टल, द्वारका नई दिल्ली में रहकर संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु 50 सीट स्वीकृत है। छ0ग0 राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु 100 सीटे स्वीकृत है, जिसमें 50 सीटे जिला रायपुर एवं 50 सीटे जिला दुर्ग में प्रशिक्षण हेतु संचालित है। इसके अतिरिक्त बैकिंग, रेलवे, व्यापम, एस.एस.सी. तथा व्यापम जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, नारायणपुर एवं कबीरधाम में 100–100 सीटस स्वीकृत है।

तालिका क. 16.20 राजीव युवा उत्थान योजना (राशि लाख में)

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियाँ
2023–24 (अप्रैल 2023 से मार्च 2024)	अनुसूचित जाति	100	43.80
	अनुसूचित जनजाति	450	386.56
	पिछड़ा वर्ग	100	41.30
2024–25 (अप्रैल 2024 से सितम्बर 2024 की स्थिति में)	अनुसूचित जाति	100	14.20
	अनुसूचित जनजाति	453	232.70
	पिछड़ा वर्ग	100	14.20

वित्तीय वर्ष 2023–24 में अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह–अप्रैल 2024 से सितम्बर 2024 तक की वित्तीय एवं भौतिक तालिका क्र. 16.20 में दर्शित है।

16.4.15 मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना :– अनुसूचित क्षेत्र, आदिवासी उपयोजना क्षेत्र तथा नक्सल प्रभावित जिलों के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना क्रियान्वित की जा रही है। यह योजना वर्ष 2010 में प्रारम्भ की गई है। **इस योजना के 04 घटक है**:–

- **आस्था**:– नक्सल हिंसा से अनाथ हुए बच्चो के लिए दंतेवाडा जिला मुख्यालय में आस्था गुरूकुल विद्यालय संचालित है। इस विद्यालय में कक्षा 1 ली से 12वीं तक पूरे वर्ष भर निःशुल्क शिक्षा, भोजन, मनोरंजन, खेल एवं आवास आदि की सुविधा प्रदान की जाती है। वर्ष 2007 में जब यह योजना प्रारम्भ की गई थी तब 84 विद्यार्थी थे। वर्ष 2023–24 में 99 बालक, 97 कन्या कुल 196 विद्यार्थी अध्ययनरत है।

- **निष्ठा**:– इसके तहत पीड़ित परिवारो के लिए कक्षा 1ली से 12वीं के विद्यार्थियों को राजनांदगांव जिले के निजी शालाओं में अध्ययन कराया जाता था। वर्ष 2020–21 से यह योजना बंद कर दी गई है, जिसके फलस्वरूप नये विद्यार्थियों को प्रवेश नही दिया जा रहा है।

- **प्रयास**:–छत्तीसगढ राज्य के संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र सहित गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थित नक्सल प्रभावित (LWE) जिलो के आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के विद्यार्थियो को कक्षा 9वीं से 12वी तक शालेय शिक्षा के साथ–साथ इंजीनियरिंग, मेडिकल, राष्ट्रीय प्रतिभा (NTSE),

CA,CS,CMA तथा CLAT इत्यादि प्रवेश परीक्षाओ की कोंचिग प्रदान कर इन विद्यार्थियों स्वयं की प्रतिभा के बल पर सफल होने योग्य बनने का प्रयास किया जाता है। वर्तमान में जिला रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा, कांकेर, कोरबा, जशपुर तथा बालोद जिला मुख्यालय में कुल 14 प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित है। इन विद्यालयों से वर्तमान में 4663 विद्यार्थी लाभान्वित को रहे है।

- **सहयोगः**— इस योजना अंतर्गत 12वी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है। उक्त योजना संचालित वर्तमान में दंतेवाडा जिला मुख्यायल में संचालित है।

वित्तीय वर्ष 2023—24 में अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक एवं वित्तीय वर्ष 2024—25 में माह—अप्रैल 2024 से सितम्बर 2024 तक की वित्तीय एवं भौतिक तालिका क्र. 16.21 में दर्शित है।

तालिका क. 16.21 मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियॉं (राशि लाखों में)
2023—24 (अप्रैल 2023 से मार्च 2024)	अनुसूचित जाति	4663	4336.50
2024—25 (अप्रैल 2024 से सितम्बर 2024 की स्थिति में)	अनुसूचित जाति	5270	3720.00

16.4.16 विशेष केन्द्रीय सहायता आदिवासी उपयोजनाः—

16.4.16.1 विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित योजनाओं से स्थानीय विकास कार्यक्रम :— भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा SCA to TSS के संबंध में नवीन दिशा—निर्देश जारी किये गये है। नवीन दिशा—निर्देशो के अनुसार जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विद्यमान आदिवासी उपयोजना क्षेत्र हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता योजना को परिवर्तित कर जनजातीय बाहुल्य ग्रामों के एकीकृत विकास की योजना प्रारम्भ किया गया है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य चरणबद्ध ढंग से ऐसे आदिवासी ग्रामों में विभिन्न क्षेत्रों यथा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, मूलभूत सुविधाएं, मकान, आयमूलक योजनाएं एवं अधोसंरचना इत्यादि में केन्द्र तथा राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध स्रोतो के समुचित अभिसरण (कनवर्जेन्स) विशेषकर ऐसी योजनाएं जहां आदिवासी उपयोजना हेतु फण्ड इयरमार्क है, के द्वारा ऐसे ग्रामों के रूप में विकसित किया जाना है। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (PMAAGY) है।

16.4.16.2 आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार :– संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत आदिवासी उपयोजना क्षेत्र अंतर्गत अंधोसंरचना/व्यक्ति मूलक, परिवार मूलक, कार्य पूंजी मद एवं राजस्व मद के अंतर्गत स्वीकृत किये जाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह–अप्रैल 2024 से सितम्बर 2024 तक की वित्तीय एवं भौतिक तालिका क्र. 16.22 में दर्शित है।

तालिका क. 16.22 आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार (राशि लाख में)

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियाँ
2023–24 (अप्रैल 2023 से मार्च 2024)	अनुसूचित जनजाति	0	15676.77
2024–25 (अप्रैल 2024 से सितम्बर 2024 की स्थिति में)	अनुसूचित जनजाति	116	2656.62

16.4.16.3 पण्डो एवं भुंजिया विकास अभिकरण :– पण्डो एवं भुंजिया विकास अभिकरण अंतर्गत योजना क्रमांक 5475 अंतर्गत वर्ष 2022–23 की कार्ययोजना में स्वीकृत विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के विद्यार्थियों हेतु जूता, मोजा, एवं स्वेटर वितरण, आपातकालीन चिकित्सा (रिफरल) सहायता प्राप्त रोगियो/कुपोषित बच्चो/माताओं के लिए चिकित्सा तथा अन्य विपरीत परिस्थितियों में राहत सहायता एवं अन्य व्यय यथा अस्पताल आने जाने हेतु आवश्यकता अनुसार किराये की प्रतिपूर्ति आदि तथा पोशण स्वास्थ्य की सुविधा एवं स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम आदि (जिला कलेक्टर के विकल्प पर) डेडिकेटेड मोबाईल मेडिकल वैन, गर्भवती माताओ हेतु प्रतीक्षा कक्ष (Pre Birth waiting room) सब्जी बीज मिनी किट प्रदाय (बाड़ी में उपयोग हेतु) (वन अधिकार पत्रधारक हितग्राहियों को प्राथमिकता सहित) मसाला बीज मिनीकिट (बाड़ी में उपयोग हेतु) (वन अधिकार पत्रधारक हितग्राहियों को प्राथमिकता सहित) वर्मी कम्पोस्ट के वितरण के माध्यम से मिट्टी की उत्पादकता और फसल उत्पादन में सुधार करना (वन अधिकार पत्रधारक हितग्राहियों को प्राथमिकता सहित) पांरपरिक जनजातीय खेलों एवं स्पर्धाओ तथा परपंरागत नृत्य को प्रोत्साहन हेतु सहायता, जनजातीय कला एवं संस्कृति के प्रोत्साहन हेतु चिन्हित विशेश रूप से कमजोर जनजाति समूहों के युवाओं एवं महिलाओं को पारंपरिक आभूशण, कलाकृतियों आदि निर्मित करने हेतु कौशल विकास सहित परंपरागत व्यवसाय का प्रशिक्षण एवं टूल किट

तालिका 16.23 पण्डो एवं भुंजिया विकास (राशि लाख में)

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि
2023–24 (अप्रैल 2023 से मार्च 2024)	अनुसूचित जनजाति	20 कार्य	110.00
2024–25 (अप्रैल 2024 से सितम्बर 2024 की स्थिति में)	अनुसूचित जनजाति	08 कार्य	150.00

प्रदाय, स्थानीय आवश्यकता अनुरूप अन्य व्यवसायों यथा सिलाई, कढ़ाई,इलेक्ट्रिशियन आदि का प्रशिक्षण तथा टूल किट प्रदाय जैसी उपयोगी हितग्राही मूलक कार्य स्वीकृत किये गये है।

तथा वर्ष 2022–23 में विशेष कमजोर जनजाति समूह के विद्यार्थियो हेतु जूता,मोजा एवं स्वेटर वितरण, PVTG के क्षेत्र के पोशण पुनर्वास केन्द्रो में भर्ती बच्चो के परिवारजनो (Faimly Attendants) हेतु भोजन व्यवस्था प्रावधान कार्यक्रम (NRC के Norms) के अतिरिक्त PVTG बस्तियो में चिकित्सासह स्वास्थ्य जांच सुविधा एवं जागरूकता शिविर तथा शिविर में पोषण सहायता, आपातकालीन चिकित्सा (रिफरल) सहायता सहित रोगियो/कुपोशित बच्चो/माताओं के लिए चिकित्सा, अन्य विपरीत परिस्थितियों एवं अन्य व्यय यथा अस्पताल आने जाने हेतु आवश्यकता अनुसार किराये की प्रतिपूर्ति आदि तथा पोशण, स्वास्थ्य की सुविधा एवं स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम आदि (जिला कलेक्टर के विकल्प पर) डेडिकेटेड मोबाईल मेडिकल वैन, वाहन चालक की मानदेय, हैण्डपंप की स्थापना, सौर सुजला योजना से सोलर पंप की स्थापना अंतर्गत हितग्राहियों को अंशदान, हस्तचलित स्प्रेयर पौधा संरक्षण औशधि छिडकाव, डीजल पंप का प्रदाय, वर्मी कम्पोस्ट के वितरण के माध्यम से मिट्टी की उत्पादकता और फसल उत्पादन में सुधार करना, सब्जी बीज मिनी किट का वितरण, मसाला बीज मिनीकिट प्रदाय, बकरी इकाई का वितरण, सूकर पालन, मत्स्य बीज संचयन, परंपरागत आदिवासी खेलो के लिए वित्तीय सहायता (खेलो को प्रोत्साहन हेतु) से संबंधित योजनाएं संचालित है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह–अप्रैल 2024 से सितम्बर 2024 तक की वित्तीय एवं भौतिक तालिका क्र. 16.23 में दर्शित है।

16.4.16.4 प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना :– भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रवर्तित योजना है। केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामो के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु वर्ष 2015–16 में प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना लागू की गई है। उक्त योजनान्तर्गत छ0ग0 राज्य में प्रथम चरण में जिला बेमेतरा के – 30 ग्राम, बलौदाबाजार के – 40 ग्राम, जांजगीर के – 30 ग्राम एवं बिलासपुर के – 35 ग्राम इस प्रकार कुल 175 ग्रामों का चयन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के द्वितीय चरण में आज दिनांक तक कुल 909 ग्रामों का चयन किया गया। उक्त चयनित ग्रामो में अनुसूचित जाति के परिवारों की मूलभूत आवश्यकता यथा–आवास, पेयजल, विद्युत विस्तार, स्वास्थ्य एवं सामाजिक एवं आर्थिक विकास इत्यादि तथा चयनित ग्रामों में आवश्यक अधोसंरचना के संबंध में ग्रामवार फोर लाईन सर्वेक्षण कर डेव्लापमेन्ट प्लान तैयार किया जाता है। 12वी पंचवर्षीय योजना के अवधि में सेक्टर चिन्हित अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में संतुलन को कम करने एवं इस समुदाय के सदस्यो को बुनियादी सुविधाऐ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई योजना में केन्द्रांश 50 प्रतिशत और राज्यांश 50 प्रतिशत है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह–अप्रैल 2024 से सितम्बर 2024 तक की वित्तीय एवं भौतिक तालिका क्र. 16.24 में दर्शित है।

तालिका 16.24 प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना

(राशि लाख में)

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियॉ
2023–24 (अप्रैल 2023 से मार्च 2024)	अनुसूचित जाति	220 ग्राम	2559.00
2024–25 (अप्रैल 2024 से सितम्बर 2024 की स्थिति में)	अनुसूचित जाति	119 ग्राम	313.84

16.4.16.5 प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) :–भारत सरकार अल्वसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रवर्तित योजना है। अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षणिक एवं समग्र विकास के लिए ''मल्टी सेक्टोरल प्रोग्राम'' (संशोधित योजना का नाम–प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम) को जशपुर जिले में लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत जशपुर जिले क 05 विकास खण्ड (जशपुर, मनोरा, दुलदला, कुनकुरी एवं कांसााबेल) को अल्पसंख्यक विकास खण्ड के रूप में चयनित किया गया है।

16.4.16.5 प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) :–भारत सरकार अल्वसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रवर्तित योजना है। अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षणिक एवं समग्र विकास के लिए ''मल्टी सेक्टोरल प्रोग्राम'' (संशोधित योजना का नाम–प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम) को जशपुर जिले में लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत जशपुर जिले क 05 विकास खण्ड (जशपुर, मनोरा, दुलदला, कुनकुरी एवं कांसााबेल) को अल्पसंख्यक विकास खण्ड के रूप में चयनित किया गया है।

तालिका 16.25 मल्टी सेक्टर डेवल्पमेंट प्रोग्राम

(राशि लाख में)

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियॉ
2023–24 (अप्रैल 2023 से मार्च 2024)	अल्पसंख्यक वर्ग	01 कार्य	150.36
2024–25 (अप्रैल 2024 से सितम्बर 2024 की स्थिति में)	अल्पसंख्यक वर्ग	02 कार्य	96.07

इस प्रोग्राम के अंतर्गत शिक्षा के लिए आधारभूत संरचना विकास, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आवास, सडक, पेयजल और आय अर्जन के अनेक अवसर उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह–अप्रैल 2024 से सितम्बर 2024 तक की वित्तीय एवं भौतिक तालिका क्र. 16.25 में दर्शित है।

16.4.17 केन्द्र प्रवर्तित योजनाएंः–

अनुसूचित जाति के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता :– सवर्ण जाति के द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों के प्रति किये गये अत्याचारों के फलस्वरूप हुई हानि की पूर्ति तथा अधिनियम के अधीन सुसंगत नियमों के अन्तर्गत जरूरतमंद अनुसूचित जाति तथा जनजाति के परिवारों को तुरन्त राहत देने के उद्देश्य से आर्थिक सहायता दी जाती है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह–अप्रैल 2024 से सितम्बर 2024 तक की वित्तीय एवं भौतिक तालिका क्र. 16.26 में दर्शित है।

तालिका 16.26 अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (राशि लाख में)

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियाँ (राशि लाखों में)
2023–24 (अप्रैल 2023 से मार्च 2024)	अनुसूचित जाति	813	1942.51
	अनुसूचित जनजाति	479	565.03
2024–25 (अप्रैल 2024 से सितम्बर 2024 की स्थिति में)	अनुसूचित जाति	373	721.93
	अनुसूचित जनजाति	261	240.81

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगो को जो अत्याचार से पीडित है को अधिनियम की धारा के तहत राहत सहायता एंव पुनर्वास दिया जाता है। अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन तथा जिलों में अस्पृश्यता निवारण शिविरों का आयोजन किया जाता है। अनुसूचित जातियों के विकास एवं कल्याण तथा उनके प्रति अस्पृश्यता के कलंक मिटाने हेतु जिला एवं ब्लाक स्तर पर सद्भावना शिविरों का आयोजना किया जाता है। जिसका मुख्य उद्देश्य ऐसी रूढियों और व्यक्तियों के विरूद्ध स्वच्छ एवं निर्मल सामाजिक वातावरण बनाने की पहल करना है। अर्न्तजातीय विवाह योजना का मूल उद्देश्य अस्पृश्यता उन्मूलन की दशा को प्रोत्साहित किया जाना है।

16.4.18 केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाएं

16.4.18.1 आदिवासी विशेष पिछड़े समूह :– योजनान्तर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजाति निवासरत क्षेत्रो में वर्ष 2022–23 में Construction of Anganwadi Centers, Construction of House for PVTGs से संबंधित कार्य भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये है। जिसका उद्देश्य विशेष पिछडी जनजाति निवासरत क्षेत्रो में अधोसंरचना विकास के साथ उनके लिए स्वास्थ्य, पोशण चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा कच्चे व जीर्ण–शीर्ण आवास में रहने वाले एवं आवासहीन परिवारो को बुनियादी सुविधायुक्त एक पांरपरिक पक्का आवास उपलब्ध कराये जाने की योजना है।

तालिका 16.27 आदिवासी विशेष पिछड़े समूह			(राशि लाख में)
वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियाँ
2023–24 (अप्रैल 2023 से मार्च 2024)	अनु. जनजाति	05 कार्य	1497.07
2024–25 (अप्रैल 2024 से सितम्बर 2024 की स्थिति में)	अनु. जनजाति	03 कार्य	1925.00

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिये पीव्हीटीजी स्कीम अंतर्गत राशि रू. 6389.341 लाख की कार्ययोजना प्रस्ताव भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय नई दिल्ली की ओर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है जिस पर स्वीकृति अपेक्षित है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह–अप्रैल 2024 से सितम्बर 2024 तक की वित्तीय एवं भौतिक तालिका क्र. 16.27 में दर्शित है।

छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल

छत्तीसगढ़ राज्य में पर्यटन की असीम संभावनायें हैं। छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग इन संभावनाओं को साकार करने के लिए सतत् प्रयत्नशील है। प्रागैतिहासिक काल के शैलचित्र, महापाषाणीय स्मारक स्थल तथा ऐतिहासिक काल के भव्य मंदिर, बौद्ध विहार, जलप्रपात, प्राकृतिक भूमिगत कन्दराऐं, सघन वन तथा दुर्लभ वन्य प्राणियों की बहुलता राज्य के पर्यटन के प्रमुख आकर्षण हैं। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य प्राणी अभ्यारण्यों के साथ–साथ जनजातीय समुदाय की परम्परा–संस्कृति, जीवनशैली एवं शिल्प कला की विविधताओं से राज्य समृद्ध हैं। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं जिसके अंतर्गत विगत वर्ष 2024–25 की प्रमुख गतिविधियाँ निम्नानुसार है :–

<u>अधोसंरचना विकास कार्य–</u>

- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की ''कैपिटल इंवेस्टमेंट हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना 2024–25 –ग्लोबल स्केल स्तर के आईकॉनिक टूरिस्ट सेंटर के विकास'' के अंतर्गत नवा रायपुर में **''चित्रोत्पला फिल्म सिटी''** निर्माण हेतु रू. 95.79 करोड़ एवं नवा रायपुर में **''ट्रायबल एवं कल्चरल कंवेंशन सेंटर''** के निर्माण हेतु रू. 51.87 करोड़ की दो योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुयी है। इन योजनाओं में कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जायेगा।
- भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा स्वदेश दर्शन योजना की सब स्कीम ''**चैलेन्ज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट''** के अंतर्गत "मयाली–बगीचा" की परियोजना के लिये रू. 10.00 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसका डी.पी.आर. तैयार कर भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय को प्रेषित किया गया है। राशि प्राप्त होते ही योजना में कार्य प्रारंभ किया जाएगा।
- भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय की ''प्रशाद योजना'' के अंतर्गत माँ बम्लेश्वरी मंदिर, डोंगरगढ के विकास हेतु रू. 48.83 करोड की परियोजना के अंतर्गत माँ बम्लेश्वरी देवी मंदिर एवं प्रज्ञागिरी पहाड़ी में पर्यटन विकास के कार्य कराये जा रहे है तथां पिल्ग्रिम फेसीलिटेशन सेंटर का निर्माण कराया जा रहा है। परियोजना में विगत 01 वर्ष में रू. 8.01 करोड़ के कार्य संपादित कराये गये हैं। परियोजना का कार्य अंतिम चरणों में है।
- भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय की ''प्रसाद योजना'' के अंतर्गत **कुदरगढ़ी देवी (जिला सूरजपुर)** के विकास हेतु रू. 20.35 करोड़ का कांसेप्ट प्लान स्वीकृति हेतु भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय को प्रेषित किया गया है।

- **कबीर सागर तालाब, दामाखेड़ा** (जिला बलौदाबाजार–भाटापारा) के पर्यटन विकास एवं सौंदर्यीकरण हेतु **रू. 22.43 करोड़** की योजना के अंतर्गत पर्यटन विकास एवं सौंदर्यीकरण के कार्य प्रगति पर है। अभी तक रिटेनिंग वॉल कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा घाट निर्माण का कार्य प्रगति पर है। विगत 01 वर्ष में रू. 1.56 करोड़ का कार्य संपादित किया गए हैं।

<u>**पर्यटन को बढ़ावा देना–**</u>

- प्रदेश वासियों को श्री रामलला दर्शन (अयोध्या धाम) की यात्रा **निःशुल्क** कराये जाने की राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ''श्री रामलला दर्शन योजना'' के तहत् पर्यटन विभाग (छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड) द्वारा IRCTC को यात्रा पैकेज का कार्य सौंपा गया है। जिसके तहत् योजना का शुभारंभ रायपुर रेल्वे स्टेशन से दिनांक **05 मार्च 2024** को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा **पहली स्पेशल ट्रेन** को रवाना कर **850 यात्रियों** को अयोध्या भेजा गया। विगत एक वर्ष में कुल **25 स्पेशल ट्रेन** से लगभग **21,250 छत्तीसगढ़ निवासियों** को श्री रामलला दर्शन हेतु अयोध्या धाम की यात्रा करायी गयी है। इस यात्रा के तहत् वाराणसी में काशी विश्वनाथ जी का दर्शन लाभ भी प्रदाय किया जा रहा है।

- विश्व पर्यटन दिवस 2024 के अवसर पर छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड एवं आई.आर.सी.टी.सी. के मध्य छत्तीसगढ़ में पैकेज और बुकिंग सुविधायें प्रदान करने वाली मूल्यवर्धित टूर पैकेज सेवाओं के लिए किये गये एम.ओ.यू का नवीनीकरण किया गया है। जिसके अंतर्गत आई.आर.सी.टी.सी, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के द्वारा संचालित पैकेज टूर को छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की अधिकृत वेबसाईट से लिंक करेगा। इससे छत्तीसगढ़ आने वाले देश–विदेश के पर्यटकों हेतु आरक्षण सुविधा का लाभ उपलब्ध रहेगा।

- भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित The Best Tourism Village Competition 2024 के तहत् छत्तीसगढ़ के जिला बस्तर के **ग्राम–धूढमारस** (Dhudmaras) को The Best Villages in Adventure Tourism 2024 तथा **ग्राम–चित्रकोट** (Chitrakote) का The Best Village for Community Based Tourism केटेगरी में चयन किया गया है।

- संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO) द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम के उन्नयन कार्यक्रम के लिए दुनिया के 60 देशों से चयनित 20 ग्रामों में बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित धूड़मारस ग्राम का चयन किया गया है। इससे गांव को उन संसाधनों तक पहुँच प्राप्त होगी जिससे इसके पर्यटन के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, सांस्कृतिक संपत्तियों को बढ़ावा देने और ग्रामवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार में मदद होगी।

- पर्यटन मंत्रालय के द्वारा सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण होमस्टे प्रतियोगिता 2024 के पहले संस्करण का आयोजन किया गया। सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण होमस्टे प्रतियोगिता 2024 की राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति ने नीचे उल्लेखित ग्रामीण होमस्टे का चयन किया गया है:–

  01. तक्षक ईको फार्म्स, भोरमदेव (जिला कबीरधाम)

  02. भोरमदेव जंगल रिट्रीट, भोरमदेव (जिला कबीरधाम)

पर्यटन मोटलों को लीज पर सौंपना –

- छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के द्वारा निजी निवेशकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभाग की 15 मोटल ईकाइयाँ निजी क्षेत्र को संचालन हेतु लीज पर सौंपी गई है। इससे पर्यटकों को उच्चस्तरीय आवास एवं खानपान की सुविधाऐं उपलब्ध होने के साथ–साथ शासन को लींज राशि के रूप में राजस्व की प्राप्ति होगी। इस योजना के अंतर्गत माह दिसम्बर 2023 से माह अक्टूबर 2024 तक कुल राशि **रू. 1,88,02,859** अपफ्रंट प्रीमियम एवं लींज रेंट के रूप में राजस्व प्राप्त हुआ है।

प्रचार–प्रसार एवं पर्यटक संख्या–

- पर्यटन की सुविधाओं एवं प्रचार–प्रसार गतिविधियों के कारण राज्य में पर्यटको की संख्या में वृद्धि हो रही है। छत्तीसगढ़ राज्य में विषयांकिंत अवधि (जनवरी – अक्टूबर 2024) में 2,28,68,973 देशी पर्यटक एवं 2,870 विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ।

- भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय की योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा पर्यटक आंकड़े एकत्रित करने हेतु एजेंसी All India Institute of Local Self Govt. (AIILSG) का चयन किया गया है। इससे राज्य में आने वाले पर्यटकों की स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

- राज्य में पर्यटन गतिविधियों के प्रचार–प्रसार प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया, सोशल मीडिया एवं डिजिटल मीडिया के माध्यम से पर्यटन गतिविधियों का प्रचार–प्रसार किया जा रहा है। इसके साथ ही –

  इंस्टाग्राम – विगत 1 वर्ष में फॉलोअर्स की संख्या में 11200 की वृद्धि हुई है।

  ट्वीटर – विगत 1 वर्ष में फॉलोअर्स की संख्या में 2400 की वृद्धि हुई है।

  फेसबुक – विगत 1 वर्ष में फेसबुक पेज के विजिटर्स की संख्या में 7500 की वृद्धि हुई है।

- दिनांक 22.01.2024 को कौशल्या माता धाम, चंदखुरी, जिला–रायपुर में इस स्थल के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु एवं उत्सव स्वरूप रामोत्सव के रूप में आयोजन किया गया।

नीतियाँ एवं गाईडलाईंस –

- नवीन औद्योगिक नीति 2024–2030 में पर्यटन उद्योग को सम्मिलित किया गया है। इससे पर्यटन में निवेश की संभावना में वृद्धि होगी।

- राज्य में पर्यटन गतिविधियों को विनियमित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित गाईडलाईंस तैयार करायी जा रही हैं :–

  1. Instructions for Granting License for Water Tourism Activities in the State 2024 .
  2. Chhattisgarh Adventure Tourism (Registration & Regulations Guidelines/ Scheme 2024).
  3. Chhattisgarh Eco Tourism Guidelines 2024.

16.6 नागरिक पंजीयन प्रणाली :

जन्म पंजीयन को बच्चे के पहले अधिकार के रूप में जाना जाता है। ''**जन्म–मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969'' एवं ''जन्म–मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 2023 (संशोधित)''** अंतर्गत, भारत देश में घटित हर एक जन्म एवं मृत्यु की घटना का पंजीकरण अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ राज्य में जन्म मृत्यु की घटना का पंजीकरण **"छत्तीसगढ़ जन्म–मृत्यु पंजीयन नियम 2001"** के अंतर्गत किया जाता है।

छत्तीसगढ़ में, वर्श 2008 से पूर्व ग्रामीण क्षेत्र में जन्म–मृत्यु की घटनाओं का पंजीकरण पुलिस थानों में किया जाता था, जो जनवरी 2008 से ग्रामीण इकाइयों को हस्तांतरित किया गया। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत प्राथमिक पंजीकरण इकाई है। राज्य के 33 जिलों में 11,651 ग्राम पंचायत में सचिव, पंचायत के अधिकार क्षेत्र के भीतर जन्म–मृत्यु पंजीयन करते हैं।

रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) ग्राम पंचायत सचिव, पंजीयन करने के पश्चात्, सभी वैधानिक भाग को अपने पास सुरक्षित रखते हैं, एवं सभी सांख्यिकी भागों को जनपद पंचायत में हर महीने की मासिक बैठक में अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) जनपद पंचायत सीईओ को प्रस्तुत करते हैं। छत्तीसगढ़ में 146 जनपद पंचायत हैं। हर महीने जनपद पंचायत उनके अधिकार क्षेत्र के समस्त ग्राम पंचायतों से सांख्यिकी भाग मासिक सारांश के साथ एकत्र करके जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय में जमा करते हैं।

राज्य में कुल 175 शहरी इकाइयां है, जो कि तीन भागों में विभाजित है : (1) नगर निगम, (2) नगर पालिका परिषद एवं (3) नगर पंचायत। नगर निगम में आयुक्त एवं नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत मुख्य नगर पालिका अधिकारी रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) है।

इसके अतिरिक्त राज्य में सभी शासकीय अस्पताल यथा – जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र, अन्य शासकीय अस्पताल एवं सार्वजनिक उपक्रम के अस्पतालों में घटित जन्म–मृत्यु (संस्थागत घटनाओं) का पंजीयन इन संस्थाओं में होता है।

राज्य में समस्त पंजीयन इकाइयों द्वारा ऑनलाईन जन्म–मृत्यु पंजीयन भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय के वेबपोर्टल पर किया जाता है एवं संचालनालय द्वारा उक्त डाटा को वेबपोर्टल से डाउनलोड एवं विश्लेशण कर राज्य की रिपोर्ट तैयार की जाती है तथा छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, नई दिल्ली को प्रेषत की जाती है।

Source: Annual Vital Reports

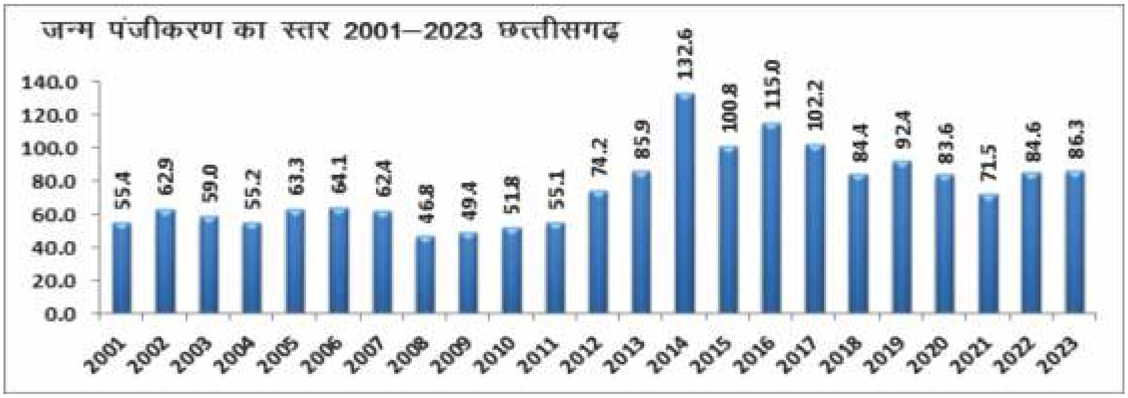

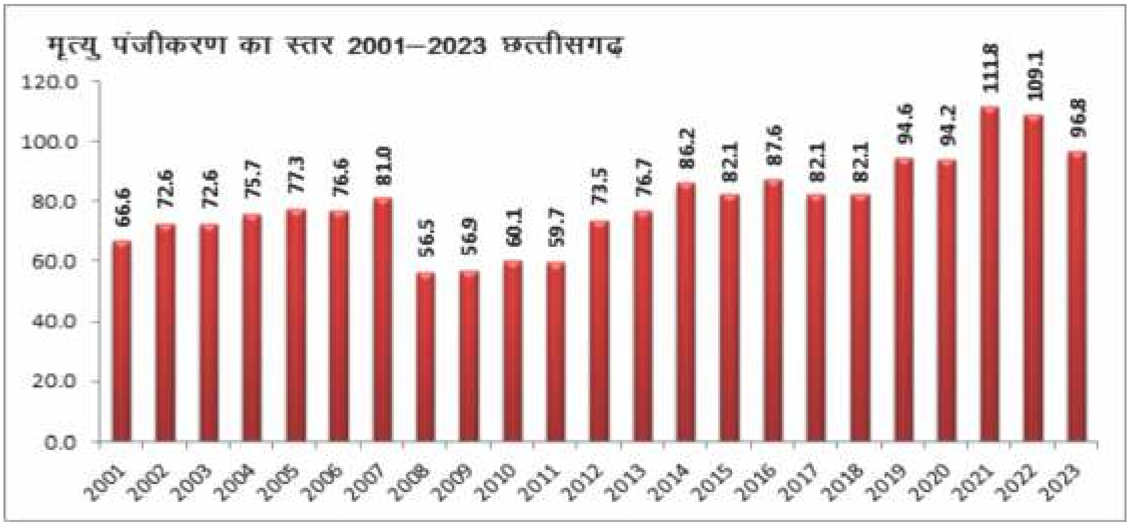

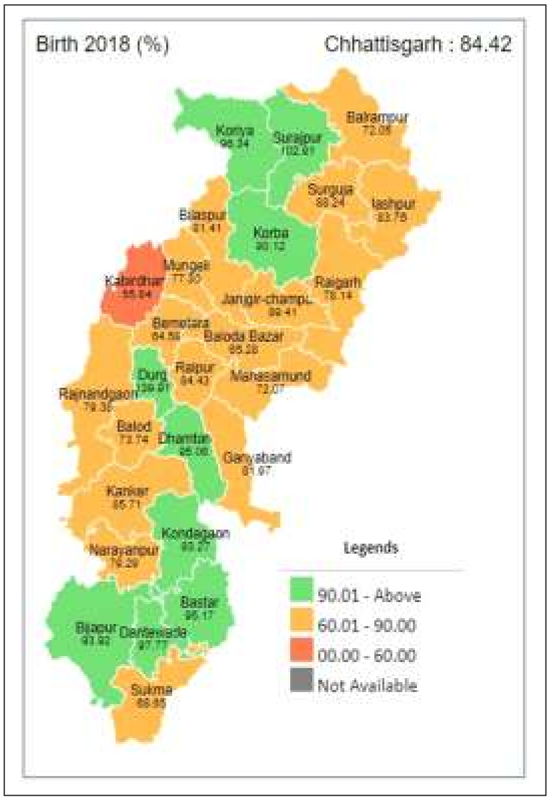
Birth 2018 (%)
Chhattisgarh : 84.42
Balrampur
Korya
Surajpur
Surguja
Jashpur
Bilaspur
Korba
Mungeli
Kabirdhar
Raigarh
Janjgir-champa
Bemetara
Baloda Bazar
Durg
Raipur
Mahasamund
Rajnandgaon
Balod
Dhamtari
Gariyaband
Kanker
Kondagaon
Narayanpur
Bastar
Bijapur
Dantewada
Sukma
Legends
90.01 - Above
60.01 - 90.00
00.00 - 60.00
Not Available

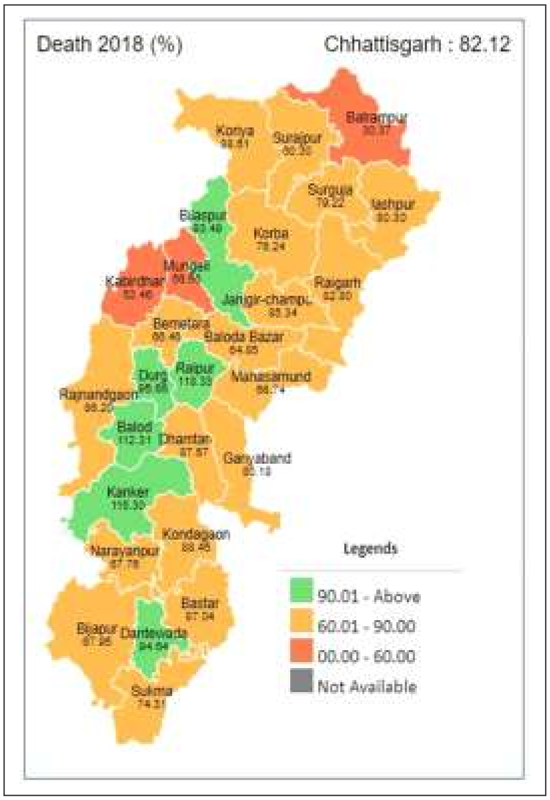
Death 2018 (%)
Chhattisgarh : 82.12
Balrampur
Korya
Surajpur
Surguja
Jashpur
Bilaspur
Korba
Mungeli
Kabirdhar
Raigarh
Janjgir-champa
Bemetara
Baloda Bazar
Durg
Raipur
Mahasamund
Rajnandgaon
Balod
Dhamtari
Gariyaband
Kanker
Kondagaon
Narayanpur
Bastar
Bijapur
Dantewada
Sukma
Legends
90.01 - Above
60.01 - 90.00
00.00 - 60.00
Not Available

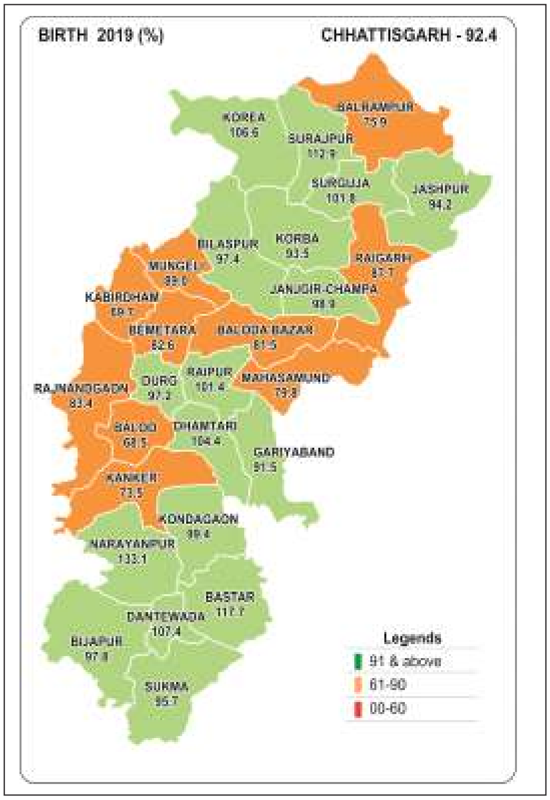
BIRTH 2019 (%)
CHHATTISGARH - 92.4
KOREA
BALRAMPUR
SURAJPUR
SURGUJA
JASHPUR
BILASPUR
KORBA
MUNGELI
RAIGARH
KABIRDHAN
JANJGIR-CHAMPA
BEMETARA
BALODA BAZAR
RAJNANDGAON
DURG
RAIPUR
MAHASAMUND
BALOD
DHAMTARI
GARIYABAND
KANKER
KONDAGAON
NARAYANPUR
BASTAR
DANTEWADA
BIJAPUR
SUKMA
Legends
91 & above
61-90
00-60

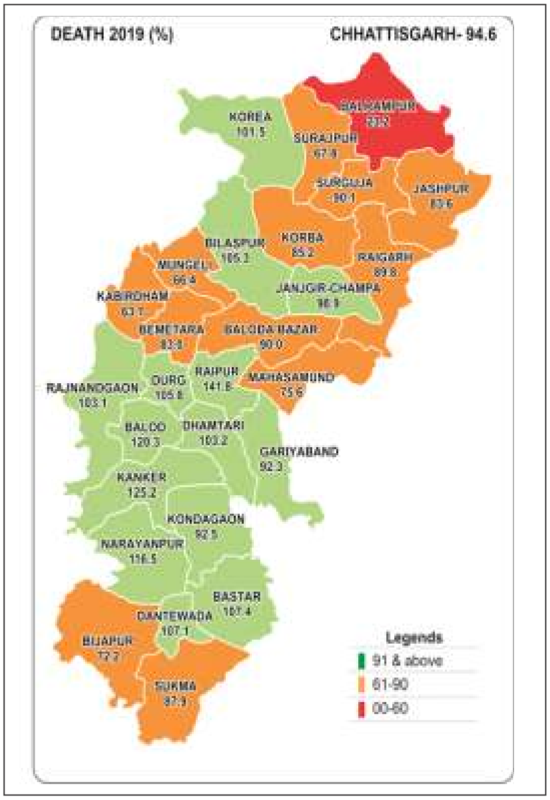
DEATH 2019 (%)
CHHATTISGARH- 94.6
KOREA
BALRAMPUR
SURAJPUR
SURGUJA
JASHPUR
BILASPUR
KORBA
MUNGELI
RAIGARH
KABIRDHAN
JANJGIR-CHAMPA
BEMETARA
BALODA BAZAR
RAJNANDGAON
DURG
RAIPUR
MAHASAMUND
BALOD
DHAMTARI
GARIYABAND
KANKER
KONDAGAON
NARAYANPUR
BASTAR
DANTEWADA
BIJAPUR
SUKMA
Legends
91 & above
61-90
00-60

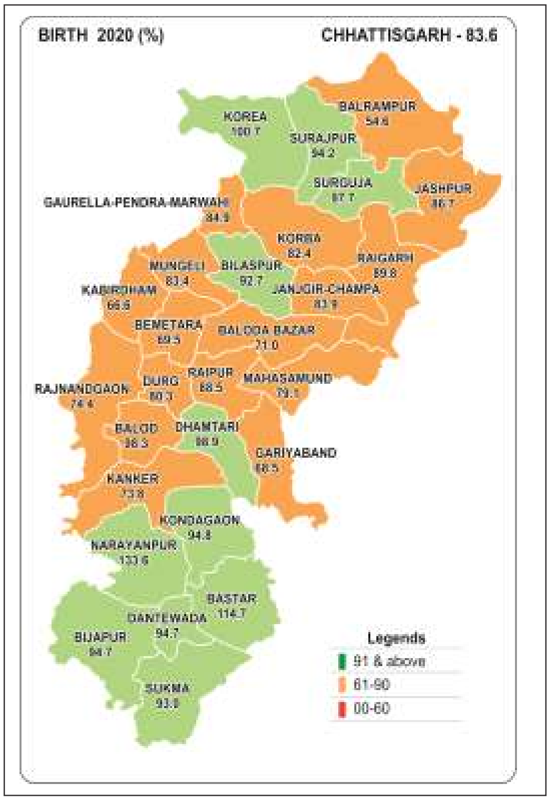
BIRTH 2020 (%)
CHHATTISGARH - 83.6
KOREA 100.7
BALRAMPUR 54.6
SURAJPUR 94.2
SURGUJA 87.7
JASHPUR 86.7
GAURELLA-PENDRA-MARWAHI 84.9
KORBA 82.4
MUNGELI 83.4
BILASPUR 92.7
RAIGARH 89.8
KABIRDHAM 66.6
JANJGIR-CHAMPA 83.9
BEMETARA 69.5
BALODA BAZAR 71.0
RAJNANDGAON 74.4
DURG 80.1
RAIPUR 88.5
MAHASAMUND 79.1
BALOD 88.3
DHAMTARI 88.9
GARIYABAND 68.5
KANKER 73.8
KONDAGAON 94.8
NARAYANPUR 133.6
BASTAR 114.7
DANTEWADA 94.7
BIJAPUR 94.7
SUKMA 93.8
Legends
91 & above
61-90
00-60

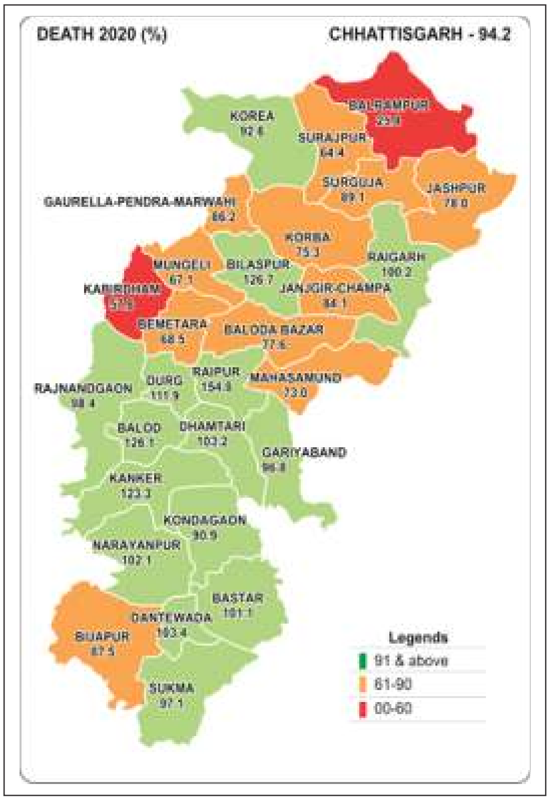
DEATH 2020 (%)
CHHATTISGARH - 94.2
KOREA 92.8
BALRAMPUR
SURAJPUR 64.4
SURGUJA 89.1
JASHPUR 78.0
GAURELLA-PENDRA-MARWAHI 86.2
KORBA 75.3
MUNGELI 67.1
BILASPUR 126.7
RAIGARH 100.2
KABIRDHAM
JANJGIR-CHAMPA 84.1
BEMETARA 68.5
BALODA BAZAR 77.6
RAJNANDGAON 98.4
DURG 111.9
RAIPUR 154.8
MAHASAMUND 73.0
BALOD 126.1
DHAMTARI 103.2
GARIYABAND 96.8
KANKER 123.3
KONDAGAON 90.9
NARAYANPUR 102.1
BASTAR 101.1
DANTEWADA 103.4
BIJAPUR 87.5
SUKMA 97.1
Legends
91 & above
61-90
00-60

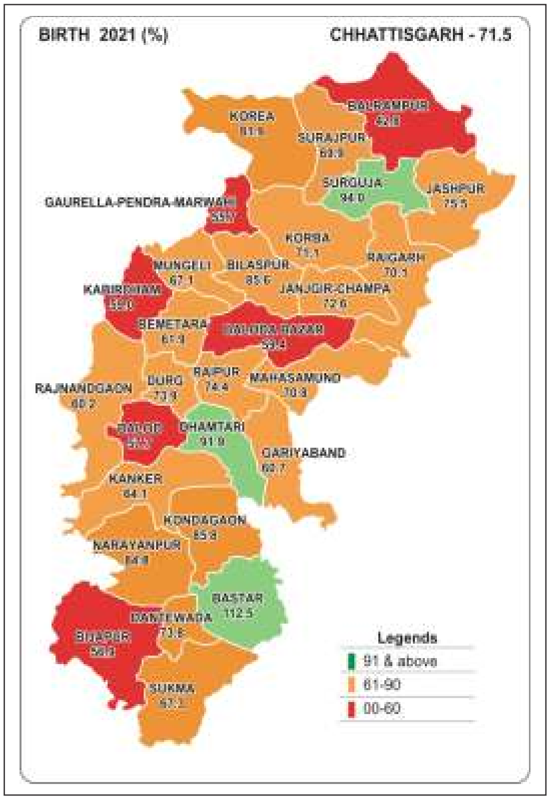
BIRTH 2021 (%)
CHHATTISGARH - 71.5
KOREA
BALRAMPUR
SURAJPUR
SURGUJA 94.0
JASHPUR 75.5
GAURELLA-PENDRA-MARWAHI
KORBA 71.1
MUNGELI 67.1
BILASPUR 85.6
RAIGARH 70.1
KABIRDHAM 59.0
JANJGIR-CHAMPA 72.6
BEMETARA 61.3
BALODA BAZAR
RAJNANDGAON 60.2
DURG 73.9
RAIPUR 74.4
MAHASAMUND 70.8
BALOD
DHAMTARI 91.9
GARIYABAND 62.7
KANKER 64.1
KONDAGAON 85.3
NARAYANPUR 64.8
BASTAR 112.5
DANTEWADA 73.6
BIJAPUR
SUKMA 67.1
Legends
91 & above
61-90
00-60

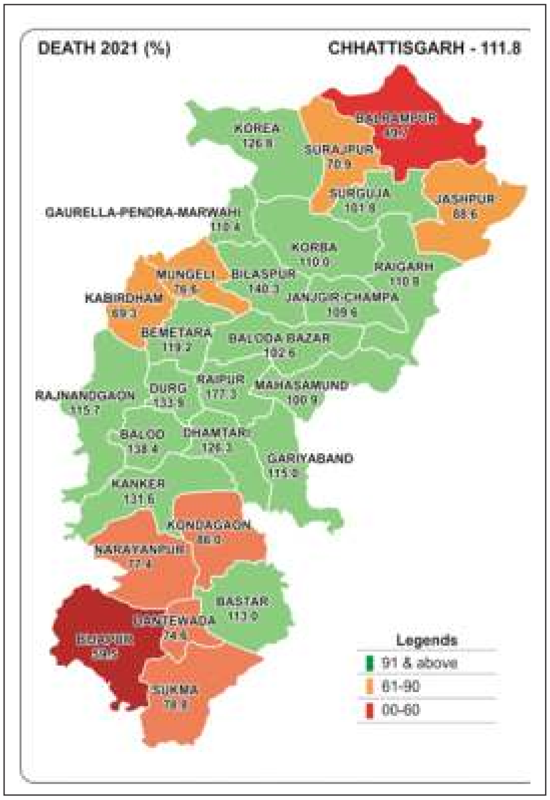
DEATH 2021 (%)
CHHATTISGARH - 111.8
KOREA 126.8
BALRAMPUR
SURAJPUR 70.9
SURGUJA 101.8
JASHPUR 88.6
GAURELLA-PENDRA-MARWAHI 110.4
KORBA 110.0
MUNGELI 76.6
BILASPUR 140.3
RAIGARH 110.8
KABIRDHAM 89.3
JANJGIR-CHAMPA 109.6
BEMETARA 119.2
BALODA BAZAR 102.6
RAJNANDGAON 115.7
DURG 133.9
RAIPUR 177.3
MAHASAMUND 100.9
BALOD 138.4
DHAMTARI 126.3
GARIYABAND 115.0
KANKER 131.6
KONDAGAON 86.0
NARAYANPUR 77.4
BASTAR 113.0
DANTEWADA 74.6
SUKMA 78.8
Legends
91 & above
61-90
00-60

BIRTH 2022 (%)
CHHATTISGARH - 84.6
KOREA 105.9
BALRAMPUR 66.4
SURAJPUR 67.5
SURGUJA 112.0
JASHPUR 79.8
GAURELLA-PENDRA-MARWAHI 63.6
KORBA 83.3
RAIGARH 83.4
MUNGELI 85.5
BILASPUR 90.6
JANJGIR-CHAMPA 83.0
KABIRDHAM 66.8
BEMETARA 73.5
BALODA BAZAR 67.0
RAIPUR 85.5
MAHASAMUND 81.8
RAJNANDGAON 77.1
DURG 92.6
BALOD 74.1
DHAMTARI 98.7
GARIYABAND 70.7
KANKER 65.2
KONDAGAON 109.3
NARAYANPUR 115.7
BASTAR 123.9
DANTEWADA 100.9
BIJAPUR 80.0
SUKMA 78.3
Legends
90 & above
60-89
00-59

DEATH 2022 (%)
CHHATTISGARH - 109.1
KOREA 107.8
BALRAMPUR
SURAJPUR 74.9
SURGUJA 135.4
JASHPUR 91.1
GAURELLA-PENDRA-MARWAHI 102.9
KORBA 105.8
RAIGARH 112.5
MUNGELI 82.9
BILASPUR 131.6
JANJGIR-CHAMPA 106.8
KABIRDHAM 65.5
BEMETARA 95.7
BALODA BAZAR 101.3
RAJNANDGAON 104.1
DURG 113.2
RAIPUR 150.0
MAHASAMUND 91.3
BALOD 136.4
DHAMTARI 120.6
GARIYABAND 117.3
KANKER 154.0
KONDAGAON 109.9
NARAYANPUR 92.7
BASTAR 130.8
DANTEWADA 115.4
BIJAPUR 90.6
SUKMA 112.0
Legends
90 & above
60-89
00-59

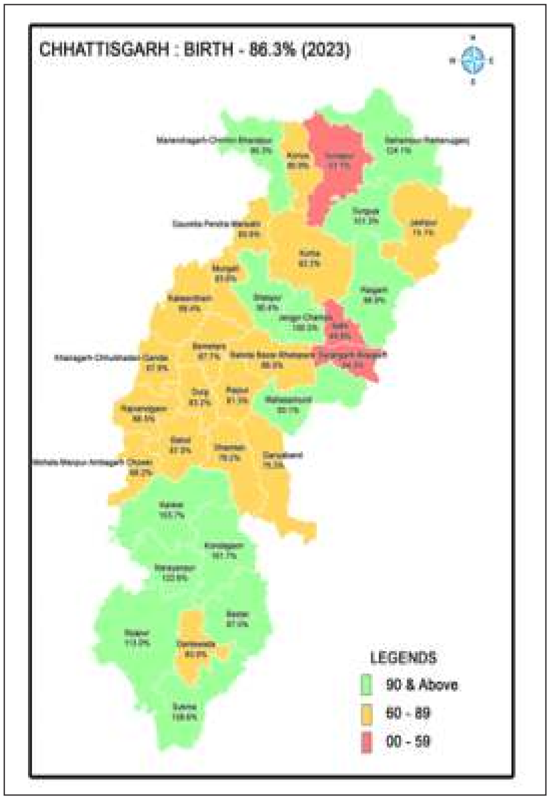
CHHATTISGARH : BIRTH - 86.3% (2023)
LEGENDS
90 & Above
60 - 89
00 - 59

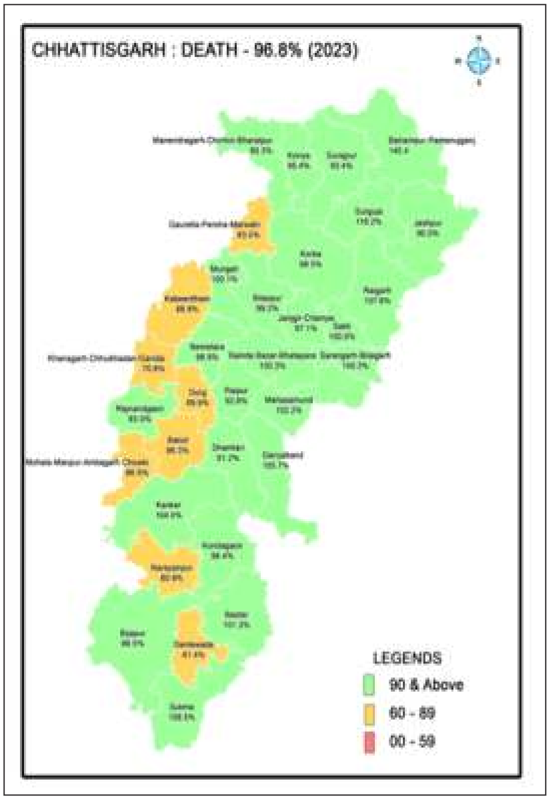
CHHATTISGARH : DEATH - 96.8% (2023)
LEGENDS
90 & Above
60 - 89
00 - 59